


72
23

पत्रावली पैश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे द्वा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से रुम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



र व
काम
की
जारी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

आधिकारी- नारायण लाल जीवमर (आर0ए0एस0)

संख्या- 197/22 प्राप्ता

जीतू डी0 श्री उदेशम जाट निवासी- बाब्या कीन्वेड़ी तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

यनाम
श्री शोशनी डी0 श्री रतन जाट निवासी- बाब्या कीन्वेड़ी तहसील-माण्डल
श्री रघुनाथ डी0 श्री उदेशम जाट निवासी- बाब्या कीन्वेड़ी तहसील-माण्डल
राजस्थान राज्य जरीद तहसीलदार सा0 माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

र से, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम लेसावा पटवार हल्का लेसावा तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं 2189/3, 2190/3 कुल कित्ता 0.2 रकबा 0.6070
त है। दादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जायें।


पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि दादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का
वैक भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आगर पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसावा पटवार
वा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 2189/3, 2190/3
0.2 रकबा 0.6070 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
नु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
लेसावा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस लमा होने
की मौजूदगी में मौके के कब्जे की पथस्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार
गढ़ी की जायें। फासल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा